

2026:AHC-LKO:22568

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन सं. - 1243/2026

प्रवीण कुमार

....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से, और अन्य

... विरोधी पक्ष (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अनुराग सिंह

विरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, सौरभ सिंह

न्यायालय सं. - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. विरोधी पक्ष संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सौरभ सिंह द्वारा दाखिल
वकालतनामा अभिलेख पर ले लिया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ सिंह को सुना गया, तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3. इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक ने प्रार्थना की है कि वाद अपराध संख्या 177/2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 115(2), 352, 351(3) के अंतर्गत, थाना-सतरिख, जिला बाराबंकी में दाखिल किया गया आक्षेपित आरोप पत्र संख्या 163/2025, तथा दिनांक 16.05.2025 का संज्ञान आदेश (राज्य बनाम प्रवीण कुमार) जो कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी के न्यायालय में लंबित है, को दिनांक 20.01.2026 को हुए समझौते के आलोक में अभिखण्डित कर दिया जाए।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि कुछ गलतफहमी के कारण आवेदक के विरुद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी; तत्पश्चात दोनों पक्ष एक साथ बैठे और उन्होंने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया, जिसे दिनांक 20.01.2026 को लिखित रूप दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद आवेदकों ने विचारण न्यायालय को समझौता-पत्र के सत्यापन का निर्देश देने हेतु यह आवेदन दाखिल किया और दिनांक 28.01.2026 के आदेश के अनुपालन में सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई और उसकी रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है। उन्होंने निवेदन किया कि इस वाद में आगे की आपराधिक कार्यवाही जारी रखना आवेदक के लिए उत्पीड़न के समान होगी अतः विवादित आपराधिक कार्यवाही को अभिखण्डित कर दिया जाए।

5. विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की दलील का समर्थन किया है और कहा है कि पक्षों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और विरोधी पक्ष संख्या 2 को कोई शिकायत नहीं है; इसलिए, आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

6. राज्य के विद्वान अधिवक्ता को उपरोक्त दलील पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की उपरोक्त दलीलों पर विचार करते हुए, मैं पाता हूँ कि पक्षों के मध्य दिनांक 20.01.2026 को एक समझौता हुआ था और उक्त समझौते का सत्यापन दिनांक 04.02.2026 को किया गया था और अब, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बयान के अनुसार, वे उपरोक्त आपराधिक वाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

8. उपरोक्त को देखते हुए, चूंकि आवेदक और विरोधी पक्षों के बीच समझौता हो गया है और अब कोई शिकायत शेष नहीं रह गई है, इसलिए, उपरोक्त आपराधिक वाद में आगे की आपराधिक कार्यवाही को अपास्त किया जाना उचित है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2003)4 एससीसी 675; निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो [2008]9 एससीसी 677; मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य (2008) 16 एससीसी 1; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303; और नरिंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466; तथा**

विश्वास भंडारी बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2021) 2 उच्चतम न्यायालय वाद 605, आपराधिक अपील संख्या 105 ऑफ़ 2021, तिथि 03.02.2021 के आलोक में किया गया है।

9. तदनुसार, वाद अपराध संख्या 177/2025 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 115(2), 352, 351(3) के अंतर्गत थाना- सतरिख, जिला बाराबंकी दाखिल किया गया विवादित आरोप पत्र संख्या 163/2025 और दिनांक 16.05.2025 के संज्ञान आदेश (राज्य बनाम प्रवीण कुमार) के संबंध में चल रही आपराधिक कार्यवाही, जो वर्तमान में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी के न्यायालय में लंबित है, को इसके द्वारा **अभिखण्डित** किया जाता है।

10. यह समझौता इस आदेश का एक भाग माना जाएगा।

11. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

12. अभिलेख में दर्ज किया गया।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

31 मार्च 2026

वी.सिन्हा/-